माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल इंदौर म.प्र. के समक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 366 / PBR / 2016

1. कैलाश पिता नत्थू प्रसाद,
आयु–41 वर्ष, व्यवसाय–पुजारी श्रीकृष्ण मंदिर,
निवासी–ग्राम चन्दनखेडी,
तहसील व जिला धार (म.प्र.)

2 जगदीश पिता नत्थू प्रसाद,
आयु–42 वर्ष, व्यवसाय–पुजारी श्रीकृष्ण मंदिर,
निवासी–ग्राम चन्दनखेडी,
तहसील व जिला धार (म.प्र.) .....प्रार्थीगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर धार
कलेक्टर कार्यालय धार म.प्र.

......प्रतिप्रार्थी

निगरानी याचिका अर्न्तगत धारा 50 म.प्र. भू.राजस्व संहिता

प्रार्थीगण की ओर से सादर निवेदन है कि :–

प्रार्थीगण यह निगरानी याचिका अधिनस्थ माननीय न्यायालय अपर आयुक्त (राजस्व) इंदौर द्वारा प्रकरण कमांक 466 / अपील / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 26.09.2016 जिसके माध्यम से प्रार्थीगण की द्वितीय अपील अर्न्तगत धारा 44 म.प्र. भू–राजस्व संहिता विधिविपरित रूप से 10 दिन का विलम्ब मानते हुऐ निरस्त कर दी गई, से असन्तुष्ट होकर निम्न एवं अन्य आधारों पर यह रिविजन याचिका सादर प्रस्तुत करते है कि :–

Date noted 19/10/16

R 3661-P B-2/16 धार

19.10-2016	प्रस्तुतकार आवेदकगण की ओर से श्री मोहन शर्मा अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर सुना गया। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 26.4.2016 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त के समक्ष मात्र 10 दिवस के अल्प विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। अत: अपील को समय सीमा के बिन्दु पर निरस्त करना उचित नहीं है अत: अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर गुणदोष पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है। (हस्ताक्षर) अध्यक्ष	19.10.16 Noted (हस्ताक्षर)